


23.10.2024:—पत्रावली आज पेशी मे ली गई। अपीलाट अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया अपीलाट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे कोई कार्यवाही नही कि जा रही है। अपीलाट अधिवक्ता को बार बार नोट करवाया गया है। आज दिनांक अपीलाट अधिवक्ता को बार—बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। अपीलाट अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण अपील पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

  
सहायक अधिवक्ता  
पुणे जिल्हा न्यायालय  
१२/१०/२०२४

